**GOVERNMENT OF INDIA**

**MINISTRY OF FINANCE**

**DEPARTMENT OF REVENUE**

**RAJYA SABHA**

**UNSTARRED QUESTION No. 230**

**TO BE ANSWERED ON TUESDAY, THE 1ST DECEMBER, 2015**

**10, AGRAHAYANA, 1937 (SAKA)**

**RECOMMENDATIONS OF JUSTICE SHAH PANEL ON MAT**

**230. SHRI MAJEED MEMON:**

**SHRI RANJIB BISWAL :**

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

1. whether the Justice Shah panel set up to look into the applicability of Minimum Alternate Tax (MAT) has submitted its report;
2. if so, the details thereof along with the details of recommendations made in the report;
3. whether the Government has accepted all the recommendations;
4. if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and
5. the further steps taken or proposed to be taken by the Government for the implementation of the recommendations accepted by it?

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE**

**(SHRI JAYANT SINHA)**

## to (e) Justice A P Shah Committee has submitted its final report on applicability of Minimum Alternate Tax (MAT) on Foreign Institutional Investors (FIIs)/ Foreign Portfolio Investors (FPIs) for the period prior to 01.04.2015, to the Government on 25.08.2015.

## The Committee has recommended that section 115JB of the Income-tax Act, 1961 may be amended to clarify the inapplicability of MAT provisions to FIIs/FPIs. Alternatively, a Circular may be issued clarifying the inapplicability of MAT provisions to FIIs/FPIs.

The Government has accepted the recommendation of the Committee and decided to carry out appropriate amendment so as to provide that the MAT provisions will not be applicable to FIIs/FPIs not having a place of business/permanent establishment in India, for a period prior to 01.04.2015.

Government’s decision in this regard has been communicated to the Income-tax Authorities vide Instruction No. 9 dated 02.09.2015.

An appropriate legislative amendment to the Income-tax Act is proposed to be carried out through Finance Bill, 2016.

-----------

**भारत सरकार**

**वित्‍त मंत्रालय**

**राजस्‍व विभाग**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 230**

**(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 01 दिसम्‍बर, 2015/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)**

**एम.ए.टी. पर न्‍यायमूर्ति शाह पैनल की सिफारिशें**

**230. श्री माजीद मेमन:**

**श्री रंजिब बिस्‍वाल:**

क्‍या **वित्‍त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या न्‍यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) की प्रयोजनीयता की जांच करने के लिए गठित न्‍यायमूर्ति शाह पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्‍त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों सहित तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या सरकार ने सभी सिफारिशें स्‍वीकार कर ली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा स्‍वीकृत सिफारिशों के कार्यान्‍वयन के लिए इसके द्वारा आगे क्‍या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क) से (ड.) न्‍याय मूर्ति ए.पी.शाह समिति ने 1.4.2015 से पहले की अवधि से संबंधित विदेशी संस्‍थागत निवेशकों (एफआईआई)/फॉरन पोर्ट पोलियों इनवेस्‍टर (एफपीआई) पर न्‍यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की प्रयोज्‍यता पर अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 25.8.2015 को सरकार को सौंप दी है।

इस समिति ने सिफारिश की है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे कि एफआईआई/एफपीआई पर एमएटी की प्रयोज्‍यता को स्‍पष्‍ट किया जा सके। इसके विकल्‍प के रुप में एक परिपत्र जारी करके एफआईआई/एफपीआई पर एमएटी की प्रयोज्‍यता को स्‍पष्‍ट किया जाना चाहिए।

सरकार ने इस समिति की सिफारिश को स्‍वीकार कर लिया गया है और यथोचित संशोधन करने का निर्णय लिया है जिससे कि इस आशय का प्रावधान किया जा सके कि एमएटी के प्रावधान, उन एफआईआई/एफपीआई पर लागू न हो जिनका कि‍ 1.4.2015 की अवधि से पूर्व भारत में कोई व्‍यापार/अस्‍थाई उपक्रम नहीं था।

इस संबंध में लिए गए सरकार के निर्णयों के बारे में अनुदेश सं.9, दिनांक 2.9.2015 के माध्‍यम से सभी आयकर प्राधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

वित्‍त विधेयक, 2016 के माध्‍यम से आयकर अधिनियम में एक यथोचित विधायी संशोधन किये जाने का भी प्रस्‍ताव है।

**------------**